## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

**का. आ. 3070(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 4.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2366 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''जामिया इस्लामिया ईशातुल उलूम, अमलीबाड़ी मोलगी रोड, गावं व डाक घर अक्कलकुवा- 425415, जिला नन्दरबार, महाराष्ट्र'' द्वारा ''नौर चेरिटेबल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के विस्तार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 18.81 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 18.81 करोड़ रूपये से बढ़कर 43.15 करोड़ रूपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 18.81 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 43.15 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतदद्वारा ''जामिया इस्लामिया ईशातुल उलूम, अमलीबाड़ी मोलगी रोड, गांव व डाक घर अक्कलकुवा- 425415, जिला नन्दरबार, महाराष्ट्र'' द्वारा चलाई जा रही ''नौर चेरिटेबल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र के विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और ;

(ख) दिनांक 4.10.2012 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 2366 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 21 के सामने स्तंभ (4) में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में '18.81 करोड़ रूपये' से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर '43.15 करोड़ रूपये' से संबंधित अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 260 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)